(17)

# न्यायालय उप जिला कलेक्टर टोडाभीम

फर्द अहकाम

मु. नं. 46/11 तारीख रजू 29.6.11

उनवान - प्रहलादी V/s पुखराज वगै०

दावा - बाबत इस्तकरारहक व स्थाई निषेधाज्ञा

वादी की ओर से श्री सुरेश चन्द शर्मा एडवोकेट ने दावा बाबत इस्तकरारहक व स्थाई निषेधाज्ञा पेश किया। अवलोकन किया गया। दावा दर्ज रजिस्टर का जरिये सम्मन प्रतिवादी गण की तलबी का पत्रा० दिनांक 12.7.11 को पेश हो।

उप जिला कलेक्टर
टोडाभीम (करौली)

जारी 2060-78 1-7-11

12/7/11 वादी वकील उपस्थित। प्रतिवादी नं. 1, 2, 3, 8, 9, 10 की ओर से मनोज शर्मा तथा 4, 5, 6, 7 की ओर से कुंदनलाल एड. ने वकालतनामा पेश किया। प्रतिवादी नं. 11 से 17 व 19 की ओर से बावजूद सूचना कोई उपस्थित नहीं। 18 का सम्मन अप्राप्त। PO सा. मुख्या पर होने के कारण आगामी आदेशार्थ दि० 15/7/11 को पेश हो।

15/7/11 वादी वकील उपस्थित। प्रति. नं. 1 से 10 के वकील उपस्थित। 11 से 17 व 19 की ओर से कोई उपस्थित नहीं इनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्रति. 18 का सम्मन अप्राप्त। वास्ते जवाब दावा प्रति. नं. 1 से 10 एवं इन्तजार तामील प्रति. नं. 18 दि० 27/7/11 को पेश हो।

# न्यायालय उप जिला कलेक्टर टोडाभीम

फर्द अहकाम

6/1/16 वकुलाय उप./ वादी वकील ने साक्ष्य पेश करने पुनः एक मौका चाहा/ न्याय हित मे एक अंतिम मौका देते हुए वादी वकील को हिदायत की गई कि आगामी सुनवाई तिथी पर आवश्यक रूप से साक्ष्य पेश करदे अन्यथा साक्ष्य वादी बंद की जायेगी। वास्ते साक्ष्य वादी दिनांक 20.1.16 को पेश हो।

20/1/16 वकुलाय उप./ वादी उपस्थित हुआ। किन्तु किसी प्रकार की साक्ष्य पेश करने में असमर्थ रहा। वादी व वादी वकील ने साक्ष्य पेश करने के लिए एक अन्तिम मौका ओर चाहने का कथन किया। वादी व वादी वकील के कथन पर एक मौका ओर दिया जाता है। वास्ते साक्ष्य वादी दिनांक 9.2.16 को पेश हो।

द: प्रस्तुतकार

9.2.16 पत्रावली पेश हुई/ वादी वकील उपस्थित नही है प्रतिवादी वकील उपस्थित/ कई बार आवाज दिलाई गई फिर भी वादी वकील एवं वादी में से कोई भी उपस्थित नही है अतः अदम हाजिरी एवं अदम पैरवी मे दावा खारिज किया जाता है/ पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

उप जिला कलेक्टर
टोडाभीम (करौली)

Scanned by CamScanner